न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश विश्नोई आर ए एस

क्लीन सोलर पॉवर

बनाम

सचू खां इत्यादि

उपस्थिति

1. श्री रोशनलाल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री पूनाराम विश्नोई, अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 01

आदेश

दिनांक 09 मई 2025

अपीलांट ने हस्तगत अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 225 के तहत सहायक कलक्टर बाप द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 242/2024 अनवान सूच खां बनाम हकीम खान इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 07 अक्टूबर 2024 के विरूद्ध अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 21 अप्रैल 2024 को प्रस्तुत की गई।

बहस सुनी गई। अपीलांट के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 223 की 25 बीघा 4 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 222 की रकबा 150 बीघा 4 बिस्वा भूमि पूर्व में सच्चू खाँ, कासम, ताज मोहम्मद, हाकिम, अल्लाबवश, अल्लाबराया पुत्रगण लालू के नाम से नामान्तरण सख्या 348 के जरिये पर दर्ज हैं। रेस्पो. सचू खां, हकीम व अल्लाबराया पुत्रगण मेहरदीन के मध्य खसरा नम्बर 223 व खसरा नम्बर 222 की भूमि का सहमति से विभाजन हो गया, जिसमें खसरा नम्बर 223 की 25 बीघा 4 बिस्वा जमीन हाकिम खां के हक में रखी गई जो कि सहमतिपूर्वक हैं और निर्विवादित हैं। सभी रेस्पोडेंट्स द्वारा वादग्रस्त आराजीयात अपीलांट कम्पनी को बेचान कर दी गई है तथा वर्तमान में

	अपीलांट कंपनी अकेले वादग्रस्त आराजीयात की रेकर्डेड खातेदार काश्तकार दर्ज है। उपरोक्त वर्णित खसरान् की भूमि से प्रत्यर्थीगण का कोई लेना देना नहीं है और ना ही इनका नाम रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज है। इसके बावजूद प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा झूठा वाद पत्र एवं प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विचारण न्यायालय के समक्ष पूर्व में भी एक वाद पत्र अंतर्गत धारा 188 एवं 212 आर टी एक्ट अनवानी सफीयत हकीम खां का प्रस्तुत किया हुआ है, जिसमे सच्चू खां एक पक्षकार है तथा उसे इस तथ्य की भली भांति जानकारी है कि विवादित जमीन का वह वर्तमान में मालिक नहीं है। साथ ही उसे इस तथ्य की भी जानकारी है कि अपीलार्थी कंपनी इस प्रकरण में पक्षकार है और अपीलार्थी कंपनी से जानबूझकर धन ऐंठने की गर्ज से वाद पत्र एवं प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जो कि प्रथमदृष्टया काबिले खारिज है। इस बाबत अपीलांट की ओर से अधीनस्थ न्यायालय में धारा 11 का प्रार्थना पत्र भी अलग से दाखिल किया गया है। अपीलार्थी कंपनी द्वारा देश के विकास में महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान करते हुए सोलर एव विन्ड पावर द्वारा बिजली का उत्पादन किया जाना है। प्रत्यर्थी संख्या 1 सच्चू खां द्वारा प्रस्तुत किये गये उपरोक्त अनवानी प्रकरण का कोई आधार नहीं है। अपीलार्थी कंपनी को अत्यधिक हानि उठानी पड़ रही है, मौके पर प्रोजेक्ट चालू है। यह उल्लेखनीय है कि रेस्पो. संख्या 1 के पक्ष में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्थगन इस शर्त पर दिया था कि अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा जवाब पेश होने पर बहस हेतु एक से अधिक बार समय मांगने पर स्थगन आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जावे। अपीलार्थी कम्पनी द्वारा उक्त आदेश की अनुपालना में दिनांक 02.01.2025 को बाद तामील अपना जवाब प्रस्तुत कर दिया गया था। शेष प्रत्यर्थीगण संख्या 2 त्ता 7 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही का आदेश दिए जाने के पश्चात् चार पेशियां निकल चुकी है और स्वयं पीठासीन अधिकारी अपने ही दिए आदेश की पालना नहीं कर रहे है, जिससे कम्पनी को अधिक हानि हो रही है। इसलिए प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिंदु अपीलांट के पक्ष में है।	

	प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम पर अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलांट कम्पनी वादग्रस्त आराजी की रेकर्डेड खातेदार है। अपीलांट की ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष केवियटर भी प्रस्तुत कर रखा था। विचारण न्यायालय द्वारा केवियटर पर गौर किये बिना तथा अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अपीलांट की ओर से बाद तामील विचारण न्यायालय के समक्ष अपना जवाब प्रस्तुत किया जा चुका है, फिर भी विचारण न्यायालय द्वारा मामले का निस्तारण नहीं किया जा रहा है। इस कारण अपीलांट के पास हस्तगत अपील प्रस्तुत करने के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नही रहा है। अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार फमराया जावे एवं अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाकर गुणावगुण पर स्वीकार फरमायी जावे एवं अपीलाधीन आदेश दिनांक 07 अक्टूबर 2024 को निरस्त किया जावे जवाब में रेस्पोडेंट एक के अधिवक्ता ने अपीलांट के अधिक्ता के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी रेस्पोडेंट संख्या एक एवं उसकी माता लाली जोजे मेरदीन की खरीदसुदा भूमि है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी की माता की फौतेदगी पर हल्का पटवारी से मिलीभगती कर गलत नामांरकरण दर्ज करवा लिया तथा वादी का हिस्सा कम कर दिया गया। इस संबंध में वादी/रेस्पोडेंट संख्या एक की ओर से विचारण न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया गया है जो वर्तमान में विचाराधीन है। विचारण न्यायालय द्वारा वाद के विचाराधीन रहते वादग्रस्त आराजी को संरक्षित रखने के लिए विधिसम्मत आदेश पारित किया है। यह उल्लेखनीय है कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश में शर्त रखी है कि अप्रार्थीगण का जवाब प्रस्तुत होने पर प्रार्थी की ओर से अवसर मांगे जाने पर स्थगन आदेश स्वतः ही निरस्त हो जायेगा। रेस्पोडेंट संख्या एक द्वारा विचारण न्यायालय में किसी प्रकार का अवसर नहीं चाहा है। पत्रावली विचारण न्यायालय में अपीलांट की ओर से प्रस्तुत धारा 11 के प्रार्थना पत्र पर बहस	

हेतु विचाराधीन है। अपीलांट द्वारा विचारण न्यायालय में चाराजोही न कर सीधे ही हस्तगत अपील प्रस्तुत की है जो अंतरिम आदेश के विरूद्ध होने से पोषणीय नही है होने से खारिज योग्य है। अतः प्रस्तुत अपील को खारिज फरमाया जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुसार विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का आद्योपांत अवलोकन किया गया। जहां तक अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुति में हुए विलंब को प्रश्न है, मामले के गुणावगुण पर निस्तारण हेतु म्याद के बिंदु पर नरम रूख अपनाते हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार किया जाता है एवं अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती है।

मामले के गुणावगुण पर पत्रावली पर उपलब्ध नामांतरकरण संख्या 119 के अवलोकन से प्रकट होता है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 223 रकबा 25.04 बीघा एवं खसरा नंबर 222 रकबा 158.04 बीघा रेस्पोडेंट संख्या एक एवं उनकी माता की खरीदसुदा भूमि रहना प्रतीत होती है। रेस्पोडेंट संख्या द्वारा अपनी खरीदसुदा भूमि के संबध में खातेदारी घोषणा एवं एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद मय अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वाद के विचारण तक विचारण न्यायालय से अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया जो विचारण न्यायालय द्वारा मूल वाद के विचाराधीन रहते प्रथमदृष्टया मामला अपीलांट के पक्ष में मानते हुए अपीलाधीन आदेश के जरिये अंतरिम रूप से जारी किया जाना प्रकट होता है। साथ ही विचारण न्यायालय द्वारा अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा इस शर्त के साथ जारी की गई है कि प्रार्थी को जवाब पेश होने के बाद बहस हेतु एक से अधिक अवसर प्रदान नहीं किया जायेगा।

विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि हस्तगत मामले में अपीलांट की ओर से धारा 11 का

	प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर पत्रावली उक्त प्रार्थना पत्र के जवाब में विचाराधीन चल रही है। रेस्पोडेंट संख्या एक की ओर से बहस हेतु किसी प्रकार का अवसर नहीं लिया गया है। अपीलांट की ओर से विचारण न्यायालय में चाराजोही न कर सीधे ही हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है जो सद्भाविक नहीं है। विचारण न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अंतिम निस्तारण होना है। अपीलांट के पास विचारण न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर प्राप्त है। लिहाजा मामला अंतिम निस्तारण हेतु निर्देशों के साथ विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित रहेगा। उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय को मामला इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है वह उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते दो माह की अवधि में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अंतिम निस्तारण करे। उभय पक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 22 मई 2025 को उपस्थित। आदेश सरे ईजलास सुनाया गया। **(ओमप्रकाश विश्नोई)** **राजस्व अपील प्राधिकारी** **जोधपुर**	